न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 25/2016 निर्णय दिनांक: 17-11-25
(जीसीएमएस संख्या 2016/00112)

1. भंवरदान पुत्र स्व. तेजदान दतक पुत्र शिवदतराय चारण जाति चारण निवासी कानासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. भंवरी पुत्री स्व. तेजदान दतक पुत्र शिवदतराय चारण जाति चारण निवासी कानासर तहसील व जिला बीकानेर।
3. धनू कंवर पुत्री स्व. तेजदान दतक पुत्र शिवदतराय चारण जाति चारण निवासी कानासर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. छगनलाल पुत्र भंवरदास तथाकथित पुत्र भीखदास जाति साध निवासी कानासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 29—09—2007
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

अपील संख्या 26/2016 निर्णय दिनांक:
(जीसीएमएस संख्या 2016/00196)

1. भंवरदान पुत्र स्व. तेजदान दतक पुत्र शिवदतराय चारण जाति चारण निवासी कानासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. भंवरी पुत्री स्व. तेजदान दतक पुत्र शिवदतराय चारण जाति चारण निवासी कानासर तहसील व जिला बीकानेर।
3. धनु कंवर पुत्री स्व. तेजदान दतक पुत्र शिवदतराय चारण जाति चारण निवासी कानासर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

—बनाम—

1. छगनलाल पुत्र भंवरदास तथाकथित पुत्र भीखदास जाति साध निवासी कानासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 01—02—2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचंद धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 29—09—2007 व 01—02—2008 जिसके द्वारा अपीलांट का पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र इकतरफा तौर पर बिना जांच किये खारिज किया जाकर वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 व सपठित धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्धारण हेतु बिन्दु एवं पक्षकार एकसमान होने के कारण दोनों अपील पत्रावलियों का निस्तारण एकसमान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किये कि अपीलांट के पिता व पति स्व. तेजदान पुत्र बलवन्तसिंह जाति चारण श्री शिवदतराय पुत्र गिरवरदान चारण के गोद पुत्र थे। स्व. शिवदतराय ने अपने जीवनकाल में अपीलांट के पिता/पति तेजदान को सामाजिक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रीति रिवाज से गोद लिया तथा गोदनामा दिनांक 28–11–1961 को उपपंजीयक बीकानेर के यहां रजिस्टर्ड करवा दिया था। इस प्रकार अपीलांट शिवदतराय का पौत्र व अपीलांट का पुत्र है। वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 332/1 तादादी 25 बीघा भूमि मौजा रोही कानासर का आवंटन शिवदतराय को संवत 2015 को बतौर गैरखातेदारी आवंटन किया गया था। उसके बाद सन् 1969–1971, 3 वर्ष के लिए आवंटन की गई तथा उसके बाद प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता रहा है। स्व. शिवदतराय जब जीवित थे तब उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त रहा तथा उनके निधन के बाद वर्तमान में अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट शिवदत का उतराधिकारी होने के कारण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि अपने नाम पुख्ता आवंटन कराने का हकदार था व है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि स्व. शिवदतराय कानासर का निवासी नही है है प्रार्थी शिवदतराय नागौर का निवासी है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि स्व. शिवदतराय के नाम से ग्राम कानासर में आबादी पट्टा 07–03–1973 का जारी किया हुआ है। स्व. शिवदतराय सदैव ही ग्राम कानासर की आबादी में निवास करते थे। वही का उनके नाम का राशन कार्ड व वोटर लिस्ट सन 1956 की बीकानेर की एवं 1971 कानासर की, 1980 कानासर जिसमें अपीलांट के पिता तेजदान का भी नाम अंकित है। तथा उसी क्रम में 1984 व अब अपीलांट के नाम से 2014 कानासर की बनी हुई है। इसी प्रकार टीसी आवंटित भूमि की गिरदावरी संवत 2029 से 2040 तक तत्पश्चात अवैध काश्तकारी के रूप में धारा 22 व 91 के नाटिस 2008 से लगातार आज तक बनते आये है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न चैक लिस्ट पर उपनिवेशन तहसीलदार संख्या 1, कोलायत के हस्ताक्षर अंकित नही है। जिससे आदेश दिनांक 29–09–2007 अपने आप में दूषित हो जाता है व निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का टीसी आवंटन सन् 1974 से बताया है तथा 1988 तक नवीनीकरण बताया है जो गलत है। उक्त तथ्य किसी भी दस्तावेज से साबित नही होते है। इस आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है व फर्जी व बनावटी दस्तावेज तैयार कर मामले में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार भूमिहीन प्रमाण पत्र पर पटवारी रिपोर्ट भी छगनलाल के कहे अनुसार ही तैयार की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भंवरदास का पुत्र है जबकि अपने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रार्थना पत्र में अपने आप को भीखदास का पुत्र होना बताकर उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 छनगलाल ने अपने हक में भीखदास द्वारा वसीयत लिखना दर्ज किया है। उक्त वसीयत फर्जी है। वसीयत में गवाहान भी फर्जी बनाये गये है। गवाह पुरखाराम व मगसिंह भी फर्जी बनाये गये है। गवाह पुरखाराम व मगसिंह की वल्दियत तक नही लिखी गई है। वसीयत किसी के हक में होने से उनकी वल्दियत नही बदल सकती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पुख्ता आवंटन के प्रार्थना पत्र में अपने पिता का नाम भीखदास यानि अपने आप को भीखदास का पुत्र होना बताकर आंवटन करवाया है। जबकि वह भीखदास का पुत्र किसी प्रकार से नही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 332/1 मे 21 बीघा भूमि है जो अपीलांट के कब्जा काश्त में आवंटन के दिन से आज तक पुश्तैनी रूप से चली आ रही है। जिसके तमाम दस्तावेज अपील के साथ संलग्न किये गये है। इस प्रकार अपीलांट की ओक्यूपाईड लैण्ड का पुख्ता आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय ने दबाव में अथवा दूरर्भि संधि से किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 छगनलाल को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01–02–2008 को पुख्ता आवंटन किया गया जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा धारा 22(3) की कार्यवाही की गई जिसे तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 17–02–2012 को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 29–01–2019 को निरस्त की गई। तत्पश्चात उक्त आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा नही की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पुख्ता आवंटन हमेशा के लिए निरस्त हो गया है तथा सलाहकार समिति का आदेश दिनांक 29–09–2007 भी निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद के बिन्दू पर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट/प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। दिनांक 11–03–2008 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट को कहा कि वादग्रस्त भूमि उसने पुख्ता आवंटित करवा ली है। इसलिए वादग्रस्त भूमि पर काश्त मत करो और इसे खाली कर दो वरना जबरन बेदखल कर देगे। तब अपीलांट/प्रार्थी ने सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के कार्यालय में दिनांक 12–03–2008 को संपर्क किया तथा उसी दिन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जैर अपील की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 14–03–2008 को नकल प्राप्त की। तब अपीलांट को प्रथम बार अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। उक्त जानकारी की दिनांक से अपीलांट द्वारा अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अंतः अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार फरमाई जावे।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–02–2008 व 29–09–2007 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को टीसी से पुख्ता आवंटन का पात्र मानकर पुख्ता आवंटन हेतु की गई अनुसंशा को निरस्त फरमाते हुए अपीलांट को पुख्ता आवंटन का पात्र मानते हुए आगामी कार्यवाही करे।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–09–2007 व 01–02–2008 के विरूद्व अपील दिनांक 09–04–2008 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का टीसी आवंटन वर्ष 1972 को रेस्पोडेन्ट के पिता भीखदास को किया गया था। जिसका नवीनीकरण वर्ष 1982 तक हुआ। और इसी आधार पर वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को टीसी से पुख्ता किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है। भीखदास के स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पोडेन्ट जायज वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो की जॉच करते हुए पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन किया है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत से अपील पेश की है। अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–02–2008 के द्वारा रेस्पोडेन्ट को भूमि का पात्र मानते हुए आदेश जारी किय है।

अपीलांट द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुख्ता आवंटन हेतु आवेदन किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवेदन की जॉच करते हुए अपने आदेश दिनांक 29–09–2007 के द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट का आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट कानासर की निवासी नही है अपीलांट नागौर का निवासी है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्ण रूप से साबित था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय संगत आदेश पारित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अंतः अपीलांट की दोनो अपीले निरस्त किये जाने योग्य है।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–09–2007 व 01–02–2008 के विरूद्व अपील दिनांक 09–04–2008 को पेश की है। अपील के साथ धारा 5 प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। मियाद पर न्यायालय का अभिमत है कि जहॉ प्रकरण में देरी अत्यधिक नही हुई है तथा वहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः अपीलांट की अपीले अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 332/1 तादादी 21 बीघा भूमि मौजा रोही कानासर में स्थित है। उक्त भूमि का आवंटन स्व. शिवदतराय को संवत 2015 को बतौर गैरखातेदारी आवंटन किया गया था। उक्त भूमि का नवीनीकरण समय–समय पर किया जाता रहा है। स्व. शिवदतराय लाऔलाद फौत हुए। स्व. शिवदतराय द्वारा अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 27–11–1961 को निष्पादित किया जिसमें स्व. शिवदतराय द्वारा तेजदान पुत्र बलवन्तदान को अपने गोदपुत्र के रूप में स्वीकार किया गया। उक्त गोदनामा विधिवत रूप से गवाहान की मौजूदगी में निष्पादित हुआ।

तेजदान के फौत होने पर उनके पुत्र अपीलांट भंवरदास द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के पुख्ता आवंटन करवाने हेतु चाराजोई की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन यह करते हुए खारिज कर दिया कि अपीलांट कानासर का मूल निवासी न होकर नागौर जिले का निवासी है। तथा साथ ही उक्त वादग्रस्त भूमि का पुख्ता आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम किया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह दोनो अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि वादग्रस्त भूमि स्व. शिवदतराय को बतौर एक साला आवंटन की गई थी जिसका समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा। स्व. शिवदतराय का दत्तक पुत्र तेजदान हुआ तथा तेजदान के बाद उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा है। अपीलांट द्वारा पुख्ता आवंटन की तमाम शर्ते पूर्ण करने के उपरान्त भी अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया। तथा उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 छगनलाल को किया गया।

उक्त आवंटन के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र संख्या 10/2008 नियम 22(3) बउनवान सरकार बनाम छगनलाल न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर प्रस्तुत किया गया। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जो आवंटन दिनांक 01–02–2008 को किया गया था उसे राज्य सरकार द्वारा बिन्दूवार कारण अंकित करते हुए खारिज करने की इस्तदुआ की गई है।

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर द्वारा प्रार्थना पत्र की जांच की गई तथा उभय पक्षो को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर उभय पक्ष जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए। तथा अपना पक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन द्वारा अपने आदेश दिनांक 17–02–2012 के द्वारा राज्य सरकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 01–02–2008 को निरस्त करते हुए उक्त वादग्रस्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश प्रदान किये गये थे।

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के आदेश दिनांक 17–02–2012 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गई। जिस पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुए अपने आदेश दिनांक 29–01–2019 के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 17–02–2012 में किसी प्रकार की अनियमितता नही मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की निगरानी खारिज की गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उक्त तथ्यो से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किये गये पुख्ता आवंटन को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि के आवंटन बाबत किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वादग्रस्त भूमि स्व. शिवदतराय को बतौर टीसी आवंटन होने तथा उक्त भूमि का समय समय पर नवीनकरण किये जाने के प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की दोनो अपीले स्वीकर की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट के पुख्ता आवंटन की पात्रता की जॉच करते हुए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के अनुसरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 17-11-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर